न्यायालयः— हिमांशु पालीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय राहतगढ, जिला सागर (म0प्र0)

Reg. No. MJCR/77/2025
Filing No.- MJCR/276/2025
CNR No. MP1514000288/2025
Filing Date- 18-06-2026

श्रीमती फातमा बानो पति मो. समीर खान, पुत्री शकील रंगरेज, आयु—24 वर्ष, निवासी—मकान नं. 52, वार्ड क्र. 2 जवाहर लाल नेहरू वार्ड, राहतगढ, जिला सागर, म.प्र. हाल निवासी—वार्ड क्र. 10 राहतगढ, जिला—सागर, म.प्र. **— आवेदिका**

विरूद्ध

समीर पिता मो. शेख बजीर उर्फ बज्जू भाई, उम्र—26 वर्ष, निवासी—वार्ड नं—10, कबाडा बाजार, उदयपुरा, जिला—रायसेन, म.प्र. **— अनावेदक**

———————————————————————————————

आवेदिका द्वारा श्री खालिद हुसैन अधिवक्ता।
अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय।

———————————————————————————————

// आदेश //

(आज दिनांक 23.07.2026 को पारित किया गया)

01. आवेदिका द्वारा यह आवेदन धारा 144, बीएनएसएस के अंतर्गत अनावेदक से आवेदिका को 1,00,000/— रूपए प्रतिमाह भरण—पोषण राशि दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में यह है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह मुस्लिम रिति रिवाज अनुसार दिनांक 28.01.2024 में संपन्न हुआ था। विवाह में आवेदिका के पिता ने 3,00,000/—रू. नगद, सोना—चांदी के जेवर, कपडे एवं समस्त दान—दहेज का सामान दिया था। आवेदिका पहली विदा के बाद जब ससुराई आई तो दिनांक 23.06.2024 को अनावेदक ने उसे पटक दिया था, जिससे उससे बाये हाथ व बाये पैर में चोट आई थी और उसका हाथ टूट गया था, तब आवेदिका के पिता ने उसका इलाज कराया था। उक्त घटना के पश्चात् भी अनावेदक एवं उसके परिजनों ने आवेदिका के साथ मारपीट की, ताने दिए और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया। आवेदिका के पिता ने अनावेदक व उसके परिजनों से पूछा की

आवेदिका को क्यो परेशान कर रहे हो तो उन्होने कहा हमे दहेज में 3,00,000/–रू. दो तब आवेदिका को अच्छे से रखेगें, वरना परेशान करते रहेगें। आवेदिका के पिता ने दहेज देने से मना किया तो इसी कारण से आवेदिका से मारपीट की जाती थी एवं आवेदिका का समस्त स्त्रीधन अनावेदक व उसके परिजनों ने छीन लिया था फिर दो माह बाद आवेदिका अपने मायके आ गई, किंतु अनावेदक व उसके परिजनों ने आवेदिका की कोई खोज खबर नहीं ली थी।

03. आवेदन में आगे बताया गया है कि दिनांक 25.12.2024 को अनावेदक आवेदिका के मायके आया और धमकी दी की यदि 15 दिन में 3,00,000/–रू. का इंतजाम नहीं किया तो जान से खत्म कर दूगा और आवेदिका के साथ लात–घूसों से मारपीट की, जिससे आवेदिका को मुंदी चोटें आई, जिसकी शिकायत आवेदिका ने दिनांक 08.01.2025 को थाना राहतगढ में की थी, जिस पर से थाना राहतगढ में अपराध क्र. 09/2025 पंजीबद्ध किया गया। आवेदिका तभी से अपने मायके में निवास कर रही है। आवेदिका द्वारा दिनांक 13.02.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस अनावेदक को प्रेषित किया था, उसके बाद भी अनावेदक ने आवेदिका की कोई खबर नहीं ली और न ही खर्चा दिया। आवेदिका के मायके वाले गरीब है, आवेदिका कम पढी–लिखी पर्दानशीन महिला है, वह कोई कार्य नहीं जानती है, इसके विपरीत अनावेदक धन संपन्न व्यक्ति है एवं उसके मकान में 05 दुकाने है, जो व्यवसायिक उपयोग की किराये पर चल रही है। अनावेदक स्वयं स्टील फर्नीचर का काम करता है एवं कूलर, पलंग, अलमारी, फ्रिज, सोफा, मिक्सी, वाशिंग मशीन एवं टी.व्ही. आदि की सेल करता है, अनावेदक की साईकिल विक्रय एवं सुधार की दुकान भी है, उक्त कार्य कर अनावेदक 2,00,000/–रू. प्रतिमाह की आय अर्जित करता है। आवेदिका को अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए 1,00,000/–रूपये प्रतिमाह के भरण पोषण की आवश्यकता है। इन्हीं आधारों पर आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।

04. अनावेदक पर सूचना पत्र की सम्यक तामीली के उपरांत भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रेषित की गई।

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :–

क्र. **विचारणीय बिन्दु**

1. क्या अनावेदक, आवेदिका के भरण पोषण के पर्याप्त साधन रखता है ?
2. क्या आवेदिका अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है ?
3. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण–पोषण करने से इंकार अथवा उपेक्षा की है ?
4. क्या आवेदिका के पास अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है ?
5. सहायता एवं व्यय ?

–: सकारण निष्कर्ष :–

विचारणीय बिन्दु क्रं. 1

06. आवेदिका फातमा बानो (आ.सा.1) का कथन रहा है, कि अनावेदक उदयपुरा, जिला–रायसेन में मेन मार्केट में 02 दुकाने खोले है, जिसमें अनावेदक इलेक्ट्रिक और स्टील फर्नीचर की दुकान संचालित करता है एवं कूलर, पलंग, अलमारी, फ्रिज, सोफा, मिक्सी, वाशिंग मशीन एवं टी.व्ही. आदि विक्रय करता है, उक्त कार्य कर अनावेदक 2,00,000/–रू. प्रतिमाह की आय अर्जित करता है। आवेदिका द्वारा अपने शपथ पत्र में भी अनावेदक की आय के संबंध में पद क्र. 16 में अनावेदक की मासिक आय 2,00,000/–रू. होना बताई है।

07. आवेदिका द्वारा किए गए उक्त अभिकथनों में उसके मूल आवेदन का अवलोकन करे तो आवेदन में आवेदिका ने अनावेदक की उदयपुरा, जिला–रायसेन में पांच दुकनें होना बताया है, जबकि न्यायालयीन कथनों में दो दुकानें होना बताया है। यह भी अवलोकनीय है कि आवेदिका ने अपने अभिकथनों के समर्थन में अनावेदक की उक्त आय के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवलोकनीय है कि अनावेदक का आय संबंधी शपथ पत्र अभिलेख पर पेश नहीं है, जिसके अभाव में न्यायालय अनावेदक की आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है।

08. अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अनावेदक शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है या विकलांग है। इस प्रकर अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकें कि अनावेदक, आवेदक का भरण पोषण करने में

सक्षम नहीं है अथवा आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका ने अनावेदक द्वारा स्टील फर्नीचर के कार्य एवं घर ग्रहस्थी के सामान की दुकान से 2,00,000/–रू. प्रतिमाह आय होना बताया है, किंतु उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। उक्त परिस्थितियों में यदि अनावेदक की आय 2,00,000/–रू. न भी मानी जाये तो स्वस्थ शरीर का वयस्क आदमी इतनी तो आय अर्जित कर ही लेता होगा कि अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सके।

09. उक्त परिस्थितियों में यद्यपि आवेदिका अनावेदक की आय के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रही है, परंतु आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया गया है कि अनावेदक अपनी पत्नी के भरण पोषण के पर्याप्त साधन रखता है। तदानुसार विचारणीय बिंदु क्र 01 के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में अंकित किया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रं. 2</u>

10. इस संबंध में आवेदिका फातमा (आ.सा.1) का अभिवकथन रहा है कि वह अपने मायके में निवास कर रही है एवं उसका पालन पोषण उसके पिता के द्वारा किया जाता है। साक्षी के अनुसार वह कम पढी लिखी पर्दानशीन महिला है, उसकी आय का कोई जरिया नही है, वह घरेलू काम करती है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उसने अपनी व्यवसायिक योग्यता कुछ नहीं बताई है एवं पैतृक आवास में अपना वर्तमान निवास बताया है। अभिलेख पर अन्य ऐसी भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्षित किया जा सके कि आवेदिका कोई कुशल कार्य में दक्ष है, जिससे वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ है।

11. आवेदिका फातमा (आ.सा.1) के इस संबंध में जो भी अभिकथन रहे है, वह प्रतिपरीक्षण विहीन होकर विश्वसनीय पाए गए है, जिनका कोई खण्डन प्रतिपक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अतः इस न्यायालय के मत में विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में आवेदिका यह स्थापित करने में सफल रही है कि आवेदक अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तदानुसार विचारणीय बिंदु क्र 02 के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में अंकित किया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रं. 3</u>

12. इस संबंध में आवेदिका फातमा (आ.सा.1) का कथन है कि उसने दिनांक 13.02.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम अनावेदक को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा था, उसके बाद भी अनावेदक उसे लेने नहीं आया और न ही खबर लेने आया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उसने यही बताया है कि अनावेदक द्वारा उसका कोई भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। आवेदिका ने बताया है कि उसके माता–पिता वृद्ध एवं गरीब है, इसलिए वह अपनी बुआ के यहां चली जाती है। साक्षी के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण विहीन होने से अखण्डित होकर विश्वसनीय पाये गए है।

13. इसके अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण में सूचना पत्र की तामीली के पश्चात् भी आज दिनांक तक अनावेदक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है। अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण की कोई व्यवस्था की हो, इस संबंध में भी कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदिका के अखंडित कथनों से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदिका के अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने के पश्चात भी अनावेदक ने आवेदक के भरण पोषण की जानबूझकर उपेक्षा की है।

14. अतः इस न्यायालय के मत में विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में आवेदिका यह स्थापित करने में सफल रही है कि अनावेदक ने आवेदकगण को भरण पोषण करने से इंकार अथवा उपेक्षा की। तदानुसार विचारणीय बिंदु क्र 03 के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में अंकित किया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रं. 4</u>

15. इस संबंध में आवेदिका फातमा (आ.सा.1) का कथन है कि उसके माता–पिता ने शादी में अपनी हैसियत अनुसार तीन लाख रूपए नगद, सोने चांदी के जेवर व अन्य गृहस्थी का सामान दिया था। साक्षी के अनुसार जब उसके ससुराल वाले उसे पहली विदा में लेने आये तो वह उनके साथ चली गई, तत्पश्चात् अनावेदक उसे शादी में कम दहेज लाने को लेकर ताने मारता था और जमीन पर पटक कर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे उसे हाथ पैर में चोट आई थी तथा उसका बाया हाथ टूट गया था, जिसका इलाज अनावेदक ने नहीं करया, अपितु साक्षी के पिता ने कराया। साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त घटना के पश्चात् भी अनावेदक व उसके

परिवार वाले उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे।

16. आवेदिका फातमा (आ.सा.1) ने आगे बताया है कि जब उसके पिता ने अनावेदक तथा उसके घर वालों से इस संबंध में बात की तो उन्होने कहा यदि तीन लाख रूपए और नहीं दोगें तो आपकी लडकी इसी तरह से घर में रहेगी। साक्षी के अनुसार दिनांक 25.12.2024 को अनावेदक उसके घर आया और यह धमकी दी कि 15 दिन के अंदर तीन लाख रूपए की व्यवस्था नहीं की तो वह उसे जान से खत्म कर देगा, मना करने पर अनावेदक ने उसके साथ पुनः मारपीट की जिसकी रिपोर्ट उसने दिनांक 08.01.25 को थाना राहतगढ में की थी।

17. अनावेदक के एकपक्षीय रहने से न्यायालय द्वारा आवेदिका के अनावेदक से पृथक रहने के संबंध में कुछ प्रश्न किये गये थे, जिनके जवाब में आवेदिका फातमा (आ.सा.1) ने बताया है कि वह जारता की दशा में नहीं रहती है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी नही किया है एवं न ही परस्पर सहमति के आधार पर अपने पति से पृथक से निवास कर रही है। आवेदिका के अनुसार वह अनावेदक द्वारा की गई मारपीट एवं प्रताडना के कारण अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। उक्त परिस्थितियों में यह परिलक्षित है कि आवेदिका अपने पति के साथ निवास करती थी, किंतु अनावेदक द्वारा प्रताडना पूर्वक व्यवहार के कारण वह वापस अपने मायके में आकर रह रही है।

18. आवेदिका की उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया है तथा आवेदिका के न्यायालयीन परीक्षण में किये गए अभिकथन भी अखंडित रहे है, जिस कारण आवेदिका के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार आवेदिका ने अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है एवं यह प्रमाणित करने का भार अनावेदक पर चला जाता है कि आवेदिका, अनावेदक से पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही है। अनावेदक ने उपरोक्त भार उन्मोचित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः इस न्यायालय के मत में विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में आवेदिका यह स्थापित करने में सफल रही है कि आवेदकगण के पास अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। तदानुसार विचारणीय बिंदु क्र. 04 के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रं. 5

19. उपरोक्त विवेचना तथा विचारणीय बिन्दुओं से प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि अनावेदक भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन रखता है, वह अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, अनावेदक ने आवेदकगण के भरण पोषण करने में इंकारी अथवा उपेक्षा की है तथा उसके पास अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। इस प्रकार आवेदक भा.ना.सु.सं. की धारा 144 के अधीन पत्नी के भरण पोषण प्राप्त करने की समस्त शर्तों को पूरा करती है और इस कारण आवेदकगण, अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है।

20. अब विचार इस तथ्य पर किया जाना है कि अनावेदक से आवेदिका को दिलाई जाने वाली भरण पोषण राशि एवं उसके आकार क्या होना चाहिये। यद्यपि आवेदिका ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक की प्रतिमाह आय 2,00,000/– रूपये होना बताया है किन्तु न्यायालय द्वारा की गई सकारण विवेचना के उपरान्त विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 की विवेचना के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनावेदक एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति है एवं वर्तमान में कम से कम इतनी आय तो अर्जित करता ही होगा कि अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकें।

21. अनावेदक द्वारा माननीय **राजेश बनाम नेहा, एस.एल.पी. (क्रिमिनल) क्र. 9503/2018** में प्रतिपादित विधि के आलोक में आय संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में यह प्रतिपादित किया गया है कि कुटुम्ब न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय में दर्ज होने वाले प्रकरण एवं समस्त लंबित भरण पोषण संबंधी कार्यवाहियों में उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को आय संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं जहां किसी पक्षकार द्वारा ऐसे प्रकरण में आय संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो न्यायालय उसकी आय के संबंध में विपरीत अनुमान लगाने के लिये स्वतंत्र है।

22. आवेदिका की अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक स्वस्थ शरीर का नौजवान व्यक्ति होने के पश्चात भी उसके द्वारा अपनी पत्नि का त्याग बिना किसी योग्य कारण के कर रखा है एवं उनका भरण पोषण किए जाने में भी उसके द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की गई है, जबकि

न्यायदृष्टांत **भुवन मोहनसिंह बनाम मीना एवं अन्य, एआईआर 2014, सुप्रीम कोर्ट 2875** के अनुसार अपनी पत्नी एवं बच्चों का भरण पोषण किया जाना उसका पुनित कर्त्तव्य है तथा अपने इस कर्त्तव्य से बिना किसी पर्याप्त कारण के वह विमुख नहीं हो सकता। चूंकि अनावेदक एक स्वस्थ व्यक्ति है अतः प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में, अनावेदक का शैक्षणिक स्तर, वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के अनुमान में अनावेदक की मासिक आय कम से कम 15,000/–रूपये प्रतिमाह तो होगी। पक्षकारों के रहन सहन व जीवन स्तर, वर्तमान मंहगाई दर, जीवन निर्वाह मूल्य, अनावेदक की आय, आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका को प्रतिमाह 4,000/–रूपये का भरण पोषण पर्याप्त होगा।

23. परिणामस्वरूप आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन **स्वीकार** कर अनावेदक समीर खान को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदन दिनांक से आवेदिका फातमा बानो रंगरेज को प्रत्येक माह की 05 तारीख के पूर्व 4,000/– (चार हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह का भरण पोषण अदा करेगा तथा उसे 3,000/–रूपये (तीन हजार रूपये मात्र) इस आवेदन के व्यय के रूप में अदा करेगा।

24. इस आदेश की एक प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश आज दिनांक को हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(हिमांशु पालीवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रृंखला न्यायालय राहतगढ,
जिला सागर (म.प्र.)

(हिमांशु पालीवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रृंखला न्यायालय राहतगढ,
जिला सागर (म.प्र.)

HIMANSHU PALIWAL
Digitally signed by HIMANSHU PALIWAL